

उत्तर प्रदेश शासन
दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-2
संख्या-1188/65-2-2018-73/97
लखनऊ : दिनांक- 04 जून, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

संविधान के अनुच्छेद-162 खण्ड (2) के अधीन प्रदत्त कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करके दिव्यांगता निवारण के प्रचार-प्रसार हेतु पंजीकृत स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान दिये जाने के संबंध में निर्गत उत्तर प्रदेश में विकलांगता निवारण के प्रचार-प्रसार में संलग्न स्वैच्छिक संस्थाओं हेतु अनुदान नियमावली, 2004 दिनांक 28-12-2004 एवं उत्तर प्रदेश में विकलांगता निवारण, बचाव, उपचार एवं पुनर्वासन में संलग्न स्वैच्छिक संस्था अनुदान (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2008 दिनांक 03-04-2018 को अवकमित करते हुए निम्न नियमावली बनाये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- नाम	उत्तर प्रदेश में दिव्यांगता निवारण के प्रचार-प्रसार हेतु अनुदान नियमावली, 2018
2- प्रारम्भ	यह नियमावली तात्कालिक प्रभाव से प्रवृत्त होगी।
3-परिभाषा	जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में:- 1-नियमावली का तात्पर्य उत्तर प्रदेश में दिव्यांगता निवारण के प्रचार-प्रसार हेतु अनुदान नियमावली, 2018 से है। 2-मंत्री, प्रमुख सचिव, सचिव व निदेशक से तात्पर्य उ०प्र० के दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के मंत्री, प्रमुख सचिव, सचिव व निदेशक से है। 3-राज्य सरकार का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है। 4-अधिनियम का तात्पर्य दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (अधिनियम संख्या-49 सन् 2016) से है। 5-स्वैच्छिक संस्था का तात्पर्य दिव्यांगता निवारण के प्रचार-प्रसार में संलग्न ऐसी स्वैच्छिक संस्थाओं, संगठनों अथवा समितियों से है जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अधीन पंजीकृत हों। 6-अनुदान समिति का तात्पर्य नियम-6 के अधीन गठित अनुदान समिति से है। 7-अनुदान ग्रहीता का तात्पर्य उन संस्थाओं से है, जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अधीन दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश में पंजीकृत हों। 8-दिव्यांगता का तात्पर्य दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में परिभाषित दिव्यांगता से है।
4- उद्देश्य	दिव्यांगता निवारण, बचाव, उपचार, शिक्षण एवं प्रशिक्षण कार्य का प्रोत्साहन तथा पुनर्वासन एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की योजनाओं तथा अधिनियम के प्राविधानों का प्रचार-प्रसार करने हेतु गैर सरकारी स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान दिया जाना और उपलब्ध धनराशि से सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के संचार माध्यम जैसे कि पपेट शो, नुक्कड़ नाटक जैसी विधाओं तथा आकाशवाणी/एफ०एम०/जिंगल्स, दूरदर्शन आदि संचार माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार की व्यवस्था सुनिश्चित करना।

5- अर्हता	<u>स्वैच्छिक संस्था</u> 1- अनुदान ग्रहीता स्वैच्छिक संस्था को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अधीन दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश से पंजीकृत होना तथा दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य करने का न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य होगा। 2- अनुदान समिति सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, आकाशवाणी एवं दूरदर्शन आदि से प्रचार एवं प्रसार के संबंध में सीधे प्रस्ताव प्राप्त कर निर्णय ले सकेगी।	
6- अनुदान समिति	1- अनुदान समिति का गठन निम्नवत् होगा- (1) मा0 मंत्री, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि। (2) प्रमुख सचिव/सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन। (3) प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नामित एक प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव स्तर से नीचे का अधिकारी न हो। (4) प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नामित एक प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव स्तर से नीचे का अधिकारी न हो। (5) आयुक्त, दिव्यांगजन, उत्तर प्रदेश (6) निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 (7) दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा नामित दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्यरत प्रतिष्ठित संस्था/प्रतिष्ठित दिव्यांग व्यक्ति। (8) मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी/वित्त नियंत्रक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण निदेशालय, उ0प्र0। 2- अनुदान समिति की कम से कम त्रैमास में एक बैठक की जायेगी।	अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य-सचिव दो सदस्य सदस्य
7- अनुदान की सीमा	1- सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में संतुलन बनाए रखते हुए स्वैच्छिक संगठनों की संख्या एवं उनके कार्यों की उपयोगिता की दृष्टि से अनुदान समिति द्वारा की गयी संस्तुति के अनुसार अनुदान की राशि अधिकतम रु0 दस लाख अथवा अनुदान समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार प्रदान की जायेगी। यह धनराशि कुल अनुमानित व्यय की 90 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। अनुदान की धनराशि किसी भी स्वैच्छिक संस्था को किसी भी दशा में वर्ष में केवल एक बार देय होगी। 2- अनुदान समिति की संस्तुति के अनुसार निदेशक द्वारा अनुदान ग्रहीता स्वैच्छिक संस्था को 2 किशतों में (प्रथम किशत स्वीकृत अनुदान की धनराशि का 60 प्रतिशत, द्वितीय किशत स्वीकृत अनुदान की धनराशि का शेष 40 प्रतिशत) अनुदान वित्त विभाग द्वारा प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार सम्बन्धित संस्था के खाते में सीधे अन्तरित की जायेगी। प्रथम किशत की धनराशि का उपयोग हो जाने के उपरान्त सम्बन्धित स्वैच्छिक संस्था से उपभोग प्रमाण-पत्र प्राप्त करके तथा उस पर निदेशक अपना समाधान करने के उपरान्त ही द्वितीय किशत अवमुक्त करेंगे तथा अनुदान ग्रहीता द्वारा द्वितीय किशत का भी उपभोग प्रमाण-पत्र निर्धारित समय में निदेशक को प्रस्तुत किया जायेगा अन्यथा उस संस्था के आवेदन पत्र पर भविष्य में विचार नहीं किया जायेगा। 3- सरकारी विभाग के माध्यम से कराए गए कार्यों से संबंधित भुगतान सीधे कार्यदायी संस्था को बजट में प्राविधानित धनराशि से अन्तरित कर दिए जाएंगे और	

	उपलब्ध करायी गयी धनराशि का व्यय समिति द्वारा निर्धारित प्रयोजनों हेतु शासकीय नियमों के तहत सुनिश्चित किया जाएगा। 4- अनुदान की राशि उपलब्ध बजट की सीमा तक सीमित रखी जाएगी और कोई भी वित्तीय दायित्व अगले वित्तीय वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं किया जाएगा।
8- आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया	आवेदन पत्र यथानिर्धारित रूप पत्र पर जिलाधिकारी की संस्तुति से निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग को प्रेषित किये जायेंगे किन्तु रूपया एक लाख के ऊपर के अनुदान प्रार्थना-पत्र निर्धारित प्रारूप पर जिलाधिकारी के माध्यम से मण्डलायुक्त की संस्तुति के साथ निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग को प्रेषित किये जायेंगे। आवेदन पत्र के साथ जनपद/मण्डल स्तर से 21 बिन्दु की आख्या में पूर्ण विवरण व तथ्यों का भौतिक सत्यापन कर उल्लिखित किये जायेंगे। आवेदन पत्र के साथ समय-समय पर अधिसूचित यथावश्यक संगत अभिलेख संस्था द्वारा संलग्न किये जायेंगे। निर्धारित प्रारूप पर प्राप्त प्रार्थना-पत्रों व शासकीय अन्य संचार माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार का प्रस्ताव निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग परीक्षण कर अपनी संस्तुति दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 शासन को प्रेषित करेंगे। शासन के दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा निदेशक से प्राप्त प्रस्तावों का सम्यक परीक्षणोपरान्त अनुदान समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किये जायेंगे।
9- उपभोग प्रमाण-पत्र	अनुदान ग्रहीता स्वैच्छिक संस्था द्वारा अनुदान की प्रथम एवं द्वितीय किश्त का उपभोग प्रमाण-पत्र प्रत्येक दशा में उसी वित्तीय वर्ष के अंत तक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 को उपलब्ध करा दिया जायेगा। रूपये एक लाख तक के अनुदान का उपयोगिता प्रमाण पत्र जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के माध्यम से निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग को एवं रूपये एक लाख से ऊपर के अनुदान का उपयोगिता प्रमाण पत्र जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से निदेशक को प्रेषित किया जायेगा। अन्य शासकीय संचार संस्थायें उपयोगिता प्रमाण पत्र सीधे निदेशक को प्रेषित करेंगी।
10-अनुदान ग्रहीता का लेखा सम्परीक्षा	1- अनुदान ग्रहीता स्वैच्छिक संस्थाओं के लेखा-अभिलेखों का लेखा परीक्षण स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अनुदान ग्रहीता स्वैच्छिक संस्थाओं के व्यय पर कराया जायेगा। 2- समस्त पूंजीगत तथा विशिष्ट प्रयोजन के आवर्ती अथवा अनावर्ती अनुदान चाहे अनुदान धनराशि से भिन्न हो, कन्ट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल भारत सरकार के विवेकानुसार सम्परीक्षित की जा सकती है।
11-अनुदान की वसूली	अनुदान ग्रहीता स्वैच्छिक संस्था से अनुदान का दुरुपयोग करने, धनराशि के गबन करने, झूठी या गलत सूचना प्रस्तुत करने, शासकीय नीतियों का कुप्रचार करने या अनियमितताओं की दशा में अनुदान की धनराशि को अनुदान ग्रहीता स्वैच्छिक संस्था से निदेशक के प्रमाण-पत्र पर भू-राजस्व के बकाये की भाँति वसूल कर लिया जायेगा।

12-शर्तों में शिथिलता/संशोधन	इस नियमावली के प्राविधानों में यथावश्यक संशोधन करने एवं किसी भी कठिनाई के निवारण करने की शक्ति राज्य सरकार में निहित होगी।
13-	पूर्व नियमावली, 2004 यथासंशोधित नियमावली, 2008 के आधार पर पूर्व में की गई कार्यवाहियां मान्य होगी।

महेश कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव।

संख्या-1188(1)/65-2-2018-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-'

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. निदेशक, सूचना विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि कृपया इस नियमावली का विभिन्न प्रचार माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें।
4. निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया समस्त विभागीय अधिकारियों को अपने स्तर से नियमावली की प्रति उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4।
- 6- दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-1/3
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुरजन सिंह)
संयुक्त सचिव।